

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 03.08.2022

₹ 25 हजार का ईनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, लगी गोली, रेलवे विभाग के कॉपर का तार चुराने वाले गैंग का खुलासा, गैंग के 11 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' को सूचना मिली कि एक गैंग सक्रिय है जो जनपद मीरजापुर एवं अन्य जनपदों में सरकारी योजना के अन्तर्गत रेलवे विभाग में लगने वाले कॉपर तारों को चोरी कर काटकर बेचा जा रहा है। उक्त कॉपर तार विदेश से आयात होता है और काफी महंगे दाम के होते हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा 03 पुलिस टीम का गठन किया गया। उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में गठित टीमों द्वारा बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सक्रिय हुए।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात मय हमराह क्षेत्र की देखभाल व गश्त/चेकिंग में मामूर थे कि इस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लंका पहाड़ी पर कुछ व्यक्ति चोरी के माल की खरीद व बिक्री का काम रहे हैं। प्राप्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक को0देहात, स्वाट/सर्विलांस व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गए स्थान लंका पहाड़ी स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में दबिश देकर 10 व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा 02 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्तियों के कब्जे से चोरी का 107 किग्रा कॉपर का तार, ₹ 50740 नगद, अवैध 05 अदद तमंचा 315 बोर मय 05 अदद जिंदा व 03 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद बोलेरो बिना नम्बर, 03 अदद मोबाइल व तार काटने में प्रयुक्त उपकरण पिलास, आरी इत्यादि बरामद किया गया।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थानाको0देहात, कछवां, स्वाट/सर्विलांस व एसओजीकी 03 टीमों द्वारा दिनांक: 02/03.08.2022 की रात्रिमें ग्राम मवैया गुरुसण्डी के पास पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी तभी मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने के नियत से फायर करने लगे जिसके कारण पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ फायर किया गया जिससे एक व्यक्ति को दाहिने पैर में गोली लग गयी जबकि एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। अभियुक्त द्वारा नाम पता पूछने पर अपना नाम रवि बिन्दु पुत्र श्यामजी बिन्दु निवासी लखमापुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर बताया तथा जिसके पास से 01 अदद 315 बोर अवैध तमंचा व 03 अदद खोखा व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ, पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल मीरजापुर में ईलाज चल रहा है तथा फरार अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कांबिंग व सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है, पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त रवि बिन्दु तथा अन्य के विरुद्ध थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-156/22 धारा 307 भादवि तथा बरामद अवैध असलहे के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-157/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रवि बिन्दु पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हम सभी लोग रेलवे लाइन का तार आरी, ब्लेड, पिलास इत्यादि से काटकर बेचने का काम करते हैं विगत दिनों में ग्राम गोपालपुर, लखमापुर, रानीबारी, बरकछा व जिगना सहित अन्य कई जगहों से कॉपर का तार काटकर आज व्यापारी शंकर जायसवाल, राजन कोरी, नमन कसेरा व संजय केसरवानी को बेचने वाले थे कि पकड़े गए। मकान के पास खड़ी बोलेरो के बारे में बताया गया कि उनके द्वारा बोलेरो वाहन का प्रयोग चोरी की घटना को अंजाम देने व चोरी की सामान को लाने तथा ले जाने में किया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देना भी बताया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-127/2022 धारा147,323,427 भादवि, मु0अ0सं0-138/2022 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0-150/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई। दिनांक: 02.08.2022 को हुई गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0-151/2022 धारा 401,411 भादवि बनाम उदल बिन्दु आदि 12 नफर पंजीकृत किया गया है, नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1-रवि बिन्दु पुत्र श्यामजी बिन्दु निवासी लखमापुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर(पुलिस मुठभेड़)
- 2-उदल बिन्दु पुत्र घूरन उर्फ ओमप्रकाश बिन्दु निवासी लखमापुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।
- 3-मनोज उर्फ तेवारी पुत्र श्यामनारायण बिन्दु निवासी लखमापुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।
- 4-मुर्गा बिन्दु उर्फ रामबली पुत्र स्व0 हीरालाल निवासी बरौंधा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।
- 5-रामतेरश उर्फ लखन्दर पुत्र अमृतलाल बिन्दु निवासी लखमापुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

- 6-अंकित पाण्डेय पुत्र अमरेश पाण्डेय निवासी लखमापुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर ।
- 7-शंकर जायसवाल पुत्र स्व0 शिव प्रसाद जायसवाल निवासी गांधीघाट थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
- 8-राजन कोरी पुत्र सुल्ली प्रसाद निवासी पेहटी चौराहा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
- 9-नमन कसेरा पुत्र पप्पू कसेरा निवासी कदमतर थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
- 10-श्रीजल केसरवानी पुत्र कृष्णानन्द केसरवानी निवासी इमरतीरोड़ थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
- 11-मनोज केसरी पुत्र अशोक केसरी निवासी बसनही बाजार थाना को0शहर जनपद मीरजापुर ।

विवरण बरामदगी—

- 1-चोरी का 107 किग्रा कॉपर का तार
- 2- ₹ 50740 नगद(पचास हजार सात सौ चालीस रूपये)
- 3- 01 अदद बोलेरो बिना नम्बर
- 4- 05 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 5- 05 अदद जिंदाव 03 अदद खोखा कारतूस
- 6- 03 अदद मोबाइल
- 7- तार काटने में प्रयुक्त उपकरण पिलास, आरी इत्यादि

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—

- 1-प्रभारी निरीक्षक को0देहात विपिन सिंह मय टीम ।
- 2-प्रभारी निरीक्षक कछवां रामस्वरूप वर्मा मय टीम ।
- 3-निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार यादव प्रभारी एसओजी मय टीम ।
- 4-उ0नि0 राजेश जी चौबे प्रभारी स्वाट/सर्विलांस मय टीम ।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 25 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

